# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135 – 2442052

पत्रांकः– 1269 / 12–1(2) , दिनांक, मुनिकीरेती, 02 /01 /2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम गूलर से विघुत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विघुत उप संस्थान के निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UK/OTHER/10660/2015 हेतु 0.12 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों/ई0डी0एस0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है। जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

| क0 सं0 | आपत्ति | निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | In reply to point no.-2 it is mentioned that authority letter was already attached in the proposal in the past. But it is seen from para-A-3 of online part-1 that the authourtiy letter is issued in favour of shri Amit Kumar but the online application is made by shri Shakti Prasad. | बिन्दु संख्या–01 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिस समय प्रस्ताव गठित किया गया श्री अमित कुमार अधिशासी अभियन्ता विघुत वितरण खण्ड थे किन्तु जब प्रस्ताव ऑन लाईन किया गया ततसमय उनका हस्तान्तरण हो गया तथा उनके स्थान पर श्री शक्ति प्रसाद जी विघुत वितरण खण्ड उनके स्थान पर आ गये जिस कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग–1 में श्री अमित कुमार को प्रस्ताव अपलोड करने हेतु नामित किया गया था किन्तु अब प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित अथोरटी पत्र भाग–1 के पैरा A-3 में अपलोड कर दिया गया है। |
| 2 | In reply to point no.-4 it is mentioned that the certificate about NPV calculation is attached as additional document in online part-1. But NPVcalculation sheet showing Eco-class & density of the forest land proposed for diversion and the NPV rate charged has not been found uploaded in additional documents in online part-1. | बिन्दु संख्या–02 के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्रस्तावति परियोजना सिंगटाली कक्ष संख्या–01 से होकर गुजरेगी जिसका घनत्व 03 है। Revision of rats of NPV applicable for different class/category of forests के पृष्ठ संख्या–18 मे दिये गये विवरणानुसार 0.10 से 0.40 के मध्य घनत्व के वनों को Open Forest की श्रेणी मे लिया गया है। अतः प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र का औसत घनत्व 0.40 होने के कारण NPV दरे Open Forest के अनुसार भाग–2 मे संशोधित कर दिया गया है। |
| 3 | In reply to point no.-6 of EDS it is mentioned that the forest land has been selected for substation because no other suitable land is abailable near the proposed site. But, the detail note containing justification for location project in forest land is still not attached in para-D (i) of online part-1. Moreover, this is a non-site specific project which can be established anywhere in the area. | बिन्दु संख्या–03 के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम–गूलर विघुत उप संस्थान के निर्माण हेतु विघुत भार को सही प्रकार से वितरण करने की दृष्टि से उपयुक्त स्थल है। उक्त स्थल से अलग–2 विघुत फीडर निकालना सम्भव है जिससे कि जनमानस को इस उपसंस्थान के निर्माण के पश्चात विघुत आपूर्ति बेहतर रूप से मिल सकेगी। |

D:\Surendra Pratap Singh\Letter 2016-17\Letter Surendra 2016-17.docx

P.T.O

| | | |
|---|---|---|
| 4 | In reply to point no.-7of EDS it is mentioned that necessary corrections has been made in para-14 of online part-2 and the information about forest land diverted, CA stipulated and progress of CA has also been provided in the prescribed fromat given by the regional office. But, it is seen from the data given in para-14 of online part-2 that forest land diverted, CA stipulated and progress of CA is 652.467 ha, 902.85 ha. & 902.85 ha. Respectively,whereas these figures are given as 652.467 ha. For the forest land diverted, 1156.246 ha. For the CA stipulated & 902.85 ha. For the CA stipulated & 902.85 ha for the progress of CA in the format. Thus, it is seen that the data given about CA stipulated in part-14 of online part-2 and the format do not tally. Moreover, the CA stipulated is not commensurate to the forest land diverted. | बिन्दु संख्या–04 के कम में अवगत कराना है कि नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत अबतक कुल 652.467 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित हुई है। जिसमें 74.344 हे0 वन भूमि 1 हे0 से कम के है तथा कुल 578.123 वन भूमि 1 हे0 से अधिक है जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदलें 1156.246 हे0 में सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा 902.85 हे0 की प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत की गयी जिसमें (आरक्षित वन भूमि में 298.00 हे0 एवं सिविल वन भूमि में 604.85 हे0) सम्मिलित है। |
| 5 | In reply to point no.-8 of EDS, it is mentioned that the forest land proposed for diversion is kept in the social and Economic management working Circle but no such working circle but no such working circle is proposed in the traft working plan (2013-14 to 2022 to 23) of Narendra Nagar Forest Division. | बिन्दु संख्या–05 के कम में अवगत कराना है कि कम संख्या–08 में त्रुटिवंश सामाजिक एवं आर्थिक कार्यवृत्त लिखा गया था जो अब सालवन सर्मवधन कार्यवृत्त योजना मे रखा गया है। तद्नुसार भाग–2 के कम संख्या–08 में संशोधन कर दिया गया है। |

भवदीय

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

बिन्दु 60-02

## प्रारुप–50

### परियोजना का नामः–     33 / 11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान का निर्माण कार्य

## एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

| | |
|---|---|
| 1- ईको–क्लास श्रेणी | V |
| 2. हरियाली का घनत्व | 0·40 Open Forest |
| 3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 | 8,02,000.00 प्रति हे0 |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | 0.12 हे0 |
| 5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि | 96,240.00 |

[illegible] हे0/[illegible]
क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुनि की [illegible]